"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 — चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-145/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"3. राज्य सरकार, नियमों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों के लिए सुझाये गये राजकोषीय नियम विनिर्दिष्ट करेगी. राजकोषीय नियम."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, चौदहवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों के लिए राजकोषीय नियम सुझाए है :

और यत:, चौदहवें वित्त आयोग के सुझावों को प्रभावी बनाने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) में संशोधन किया जाये.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 14 मार्च, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक-16 सन् 2005) की धारा 3 का सुसंगत उद्धरण :-

धारा 3. (1) **वार्षिक लक्ष्य** :- राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी -

2011-12 - शून्य
2012-13 - शून्य
2013-14 - शून्य
2014-15 - शून्य

(2) राज्य सरकार वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी -

2010-11 - 3 प्रतिशत
2011-12 - 3 प्रतिशत
2012-13 - 3 प्रतिशत
2013-14 - 3 प्रतिशत
2014-15 - 3 प्रतिशत

(3) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये नई गारंटी सामान्य शर्तों पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत अथवा जोखिम भारित आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो कि सीमा से अधिक की नहीं देगी.

(4) (एक) राज्य सरकार वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण दायित्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी -

2010-11 - 22.00 प्रतिशत
2011-12 - 22.50 प्रतिशत
2012-13 - 23.00 प्रतिशत
2013-14 - 23.50 प्रतिशत
2014-15 - 23.90 प्रतिशत

(दो) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी :

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा आपवादिक आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य शासन के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.